झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
झारखण्ड स्टेट लाईवलीहुड प्रमोशन सोसाईटी

झारखण्ड स्टेट लाईवलीहुड प्रमोशन सोसाईटी (JSLPS) के अंतर्गत जिला और प्रखंड इकाईयों में लेखा प्रभाग के बैकलॉग पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन

ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार राज्य के ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों के साथ कार्य करते हुये उनकी आजीविका मजबूत करने के उद्देश्य के साथ प्रयत्नशील है। इन्ही प्रयासों के अंतर्गत विभाग,राज्य एवं भारत सरकार के संयुक्त सहयोग से, अपने अधीनस्थ झारखण्ड स्टेट लाईवलीहुड प्रमोशन सोसाईटी (JSLPS) के माध्यम से राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ–साथ अन्य परियोजनाओं (JOHAR, JHIMDI, NRETP)का सफल संचालन कर रहा है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए www.jslps.in पर जाऐं।

वर्त्तमान मे JSLPS की जिला/प्रखंड ईकाइयों के लेखा कार्यों हेतु सृजित संविदा आधारित विभिन्न रिक्त बैकलॉग पदों पर राज्य सरकार के द्वारा निर्देशित नियुक्ति नियमावली में संशोधन के उपरांत इच्छुक और योग्य अहर्ता रखने वाले अभ्यर्थियों से निम्न विवरणानुसार आवेदन आमंत्रित किए जाते है।

क्र. सं.	जिला का नाम	पद का नाम		
		District Accounts Officer (DAY-NRLM)	District Accountant (DAY NRLM, JOHAR & JHIMDI)	Block Accounts Officer (NRETP)
1	बोकारो	1 (UR-1)	1 (UR-1)	2 (UR-1, BC1-1)
2	चतरा	1 (UR-1)	-	-
3	देवघर	1 (UR-1)	-	2 (UR-1, BC1-1)
4	धनबाद	-	-	2 (UR-1, BC1-1)
5	दुमका	-	3 (UR-2, ST-1)	1 (UR-1)
6	पूर्वी सिंहभूम	-	1 (UR-1)	-
7	गढ़वा	-	-	2 (UR-1, SC-1)
8	गिरिडीह	-	2 (UR-1, BC1-1)	3 (UR-2, BC1-1)
9	गोड्डा	-	-	1 (UR-1)
10	गुमला	-	1 (UR-1)	-
11	हज़ारीबाग़	-	1 (UR-1)	2 (UR-1, BC1-1)
12	जामतारा	-	-	1 (UR-1)
13	खूंटी	-	2 (UR-1, ST-1)	1 (UR-1)
14	कोडरमा	1 (UR-1)	-	1 (UR-1)
15	लातेहार	1 (UR-1)	2 (UR-1, ST-1)	-
16	लोहरदगा	-	2 (UR-1, ST-1)	2 (UR-1, SC-1)
17	पाकुर	1 (UR-1)	2 (UR-1, ST-1)	1 (UR-1)
18	पलामू	1 (UR-1)	2 (UR-1, SC-1)	2 (UR-1, SC-1)
19	रामगढ	-	1 (UR-1)	-
20	रांची	-	2 (UR-1, ST-1)	4 (UR-2, ST-2)
21	साहेबगंज	1 (UR-1)	-	2 (UR-1, ST-1)
22	सराईकेला खरसावां	1 (UR-1)	2 (UR-1, ST-1)	-
23	सिमडेगा	1 (UR-1)	3 (UR-2, ST-1)	2 (UR-1, ST-1)
24	पश्चिमी सिंहभूम	-	3 (UR-2, ST-1)	2 (UR-1, ST-1)

<u>महत्वपूर्ण सूचनाएँ</u>

1. उपरोक्त वर्णित सभी रिक्तियां राज्य सरकार के जिला स्तरीय आदर्श आरक्षण नियमों से आच्छादित होंगे। उपरोक्त कोटिवार वर्णित रिक्त पदों में दिव्यांग एवं महिला हेतु क्षैतिज आरक्षण वर्तमान में राज्य सरकार की आरक्षण निति के अनुरूप अनुसूचित एवं गैर–अनुसूचित जिलों हेतू मान्य नियमावली के अनुसार होगी। आरक्षण का लाभ राज्य के स्थानीय निवासी को ही दिया जाएगा। आरक्षण का लाभ लेने हेतु अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। इसे प्रस्तुत नहीं किये जाने की दशा में पात्रता रद्द कर दी जाएगी। उपरोक्त वर्णित सभी पदों हेतु झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी ही योग्य होंगे।

2. उपरोक्त वर्णित पदों हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, कार्यानुभव, जिला स्तरीय आदर्श आरक्षण नियमानुसार कोटिवार आयु सीमा तथा वेतनमान का विवरण संबंधित विज्ञापन की मार्गदर्शिका के रुप में इस विज्ञापन के आगामी **पृष्ठों** पर दी गयी है। आवेदन प्रस्तुत करने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि आवेदन करने से पहले इसे ध्यान पूर्वक पढ़ लें तथा वांछित अर्हता होने की दशा में ही आवेदन करें।

3. उपरोक्त पदों हेतु वांछित अर्हता का मापदंड पूर्ण किए जाने की दशा में ही आवेदन स्वीकार किए जायेंगे। अपूर्ण आवेदन अथवा निर्धारित माध्यम के अलावा अन्य माध्यम से जमा कराये गये आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

4. अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें कि आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक पदानुसार मांगी गई अर्हता पूर्ण होनी चाहिए। शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता एवं मांगे गये कार्यानुभव की अवधि आवेदन प्रस्तुत किए जाने की अंतिम तिथि तक अपूर्ण होने की दशा में आवेदन अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

5. उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को पदानुसार आवश्यक शैक्षणिक अर्हत्ता के आलोक में मैट्रिक/10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उतीर्ण होना अनिवार्य होगा। इसे पूर्ण नहीं किये जाने की दशा में आवेदन अस्वीकृत कर दिये जायेंगे। झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामलें में सरकार के प्रावधानानुसार झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा तथा इंटरमिडियट/10+2 कक्षा उतीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा।

6. अनुसूचित एवं गैर–अनुसूचित जिलों की पूरी सूची संबंधित विज्ञापन की मार्गदर्शिका के रुप में इस विज्ञापन के आगामी पृष्ठों पर दी गयी है। इसके अंतर्गत अनुसूचित जिलों के अभ्यर्थी अपने स्थानीय निवास वाले जिलों हेतु ही कोटिवार उपलब्ध रिक्त पदों पर आवेदन करने के योग्य होंगे। गैर–अनुसूचित जिलों के अभ्यर्थी समस्त गैर अनुसूचित जिलों में किसी एक जिला हेतु कोटिवार उपलब्ध कुल रिक्त पदों पर आवेदन करने के योग्य होंगे। अभ्यर्थियों से आग्रह है कि आवेदन करने से पहले वेबसाइट पर दिए गए इस पूरी सूची एवं विवरण का अवलोकन जरुर कर लें। तद्नानुसार अपना आवेदन प्रस्तुत करें।

7. सभी वैसे अभ्यर्थी जो गैर–अनुसूचित जिले हेतु आवेदन समर्पित कर रहे हों, उन्हे ऑनलाइन आवेदन के समय निर्धारित ''शपथपत्र'' सेक्शन में दिए गए विवरणानुसार हेतु अपनी सहमति देना आवश्यक होगा। नियुक्ति प्रक्रिया के अगले चरण में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के समय निर्धारित शपथपत्र लिखित रुप से समर्पित करना अनिवार्य होगा।

8. उपरोक्त सभी पदों हेतु चयन प्रक्रिया JSLPS के अधिशासी समिति द्वारा स्वीकृत नियुक्ति नियमावली के अनुरुप संपादित की जायेगी। निर्धारित चयन प्रक्रिया एवं इसके विभिन्न चरणों का कटऑफ विवरण संबंधित विज्ञापन की मार्गदर्शिका के रुप में इस विज्ञापन के आगामी पृष्ठों पर दी गयी है। समस्त अभ्यर्थी इसका अवलोकन करके ही अपना आवेदन प्रस्तुत करें।

9. अभ्यर्थी ध्यान दें कि आवेदन प्रबंधन, चयन प्रक्रिया संबंधी आवश्यक सूचना अभ्यर्थियों को देने में, लिखित परीक्षा तथा नियुक्ति की मेधा सूची बनाने में आवश्यक सहयोग हेतु JSLPS द्वारा अनुबंधित HR एजेन्सी के माध्यम से सेवाएँ ली जायेंगी।

10. JSLPS के सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, JSLPS में कार्यरत कर्मियों के वर्तमान पदों पर सेवा के 1 वर्ष पूरे न होने पर मौजूदा जेएसएलपीएस कर्मचारियों के आवेदन स्वीकार नहीं किए जायेंगे। इस स्थिति में एक साल की सेवा की गणना के लिए इन विज्ञापन में प्रकाशित आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को अंतिम माना जायेगा।

11. यदि उम्मीदवार मानदंडों को पूरा करते हैं तो एक या अधिक पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रत्येक पदों के लिए आवेदन अलग से जमा किया जाना आवश्यक होगा। जेएसएलपीएस विज्ञापित पदों के लिए लिखित/तकनीकी परीक्षा एक ही या अलग–अलग दिनों में निर्धारित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। कई पदों के लिए shortlist किये गये अभ्यार्थियों को सर्वोत्तम उपयुक्त विकल्प चुनना होगा और तदनुसार चयन प्रक्रिया में भाग लेना होगा।

12. सभी विज्ञापित पदों के लिए लिखित परीक्षा चयन प्रक्रिया के अगले चरण हेतु (जिस पद हेतु उपयुक्त हों) अभ्यर्थियों के shortlist किए जाने का आधार होगा। अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में संपादित परीक्षा में निर्धारित कटऑफ के साथ उतीर्ण करना आवश्यक होगा। अंतिम मेधा सूची विभिन्न चरणों में संपादित परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़कर कट ऑफ नियमावली का पालन करते हुये तैयार की जायेगी। इस संबंध में उपरोक्त कंडिका–8 का अवलोकन करें।

13. चयनित उम्मीदवारों का पदस्थापन जेएसएलपीएस प्रबंधन के निर्णय के अधीन होगा। परियोजना की आवश्यकता के आधार पर पदों की संख्या में वृद्धि या कमी हो सकती है। सभी विज्ञापित पद अनुबंध के आधार पर परियोजना की आवश्यकता / बजट की उपलब्धता तक,जो भी पहले हो, तक मान्य होंगे।

14. अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें, कि उपरोक्त वर्णित पदों हेतु आवश्यक अर्हता से संबंधित सभी प्रमाणपत्र तथा आवेदन में प्रस्तुत किए गए विवरण किसी भी समय यदि गलत पाये जाते है तो अभ्यर्थी की पात्रता (चयन के बाद की अवस्था में भी) रद्द कर दी जाएगी और आवश्यक कठोर दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

15. जेएसएलपीएस किसी भी स्तर पर भर्ती प्रकिया को रद्द या संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए जाने वाले प्रावधानों के अनुसार जेएसएलपीएस चयन प्रक्रिया संबंधी आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

16. उपरोक्त रिक्तियों के संदर्भ में अभ्यर्थी ध्यान दें कि जेएसएलपीएस प्रबंधन द्वारा संगठनात्मक पुनःसंरचना के संदर्भ में लिए गए निर्णयानुसार लेखा **प्रभाग के उत्कृष्ट** पदों की संख्या कार्यक्रमों की आवष्यकता के अनुरुप प्रत्येक जिले हेतु पूर्व निर्धारित की गयी है। तदनुसार, वर्तमान में रिक्त पदों हेतु नियुक्ति प्रक्रिया आरम्भ की जा रही है। उपरोक्त सारिणी में दर्शित वे जिले जहाँ अभी रिक्तियाँ नहीं है, उनके लिए आवेदन आमंत्रित नहीं किए जा रहे है। अभ्यर्थी ध्यान दें कि बिना रिक्तियों वाले जिलों हेतु संबंधित पद के किसी भी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

नोटः–अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें, उपरोक्त भर्ती से संबंधित किसी भी सूचना के लिए केवल www.jslps.in अथवा www.sids.co.in को ही आधार मानें। **अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि अन्य श्रोत से प्राप्त जानकारी व नौकरी एवं किसी भी प्रकार के प्रलोभन से बचें। साथ ही आवेदन करते समय दिए गए मोबाइल नंबर को नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण होने तक कार्यरत रखें।**

आवेदन कैसे करें:

इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन ऑनलाइन माध्यम से **वेबसाइट** www.sids.co.in पर जाकर आवेदन करेंगे। अन्य किसी भी माध्यम से प्राप्त आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन पोर्टल इस विज्ञापन को प्रकाशित करने की तारीख से 72 घंटे के बाद सक्रिय होगा। इच्छुक उम्मीदवार तदनुसार आवेदन कर सकते है।

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि **3rd फ़रवरी 2022** है।

ग्रामीण विकास विभाग
झारखण्ड स्टेट लाईवलीहुड प्रमोशन सोसाईटी (जेएसएलपीएस)

दिनांक 10 जनवरी 2022

–ःमार्गदर्षिकाः–

यह मार्गदर्षिका अभ्यर्थियों के लिए है जो जेएसएलपीएस के निम्नांकित पदों हेतु इस मार्गदर्षिका के प्रकाषन तिथि के उपरांत जारी किए गए नियुक्ति विज्ञापन के आलोक में अपना आवेदन निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुरुप समर्पित करना चाहते है।

1 जिला लेखा अधिकारी (DAY-NRLM)-DMMU).

2 प्रखंड लेखा अधिकारी (NRETP)-BMMU).

3 जिला अकाउंटेंट (DAY-NRLM, JOHAR & JICA)-DMMU.

इस मार्गदर्षिका के तीन भाग है जिसे आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों को संबंधित नियुक्ति विज्ञापन में प्रसारित नियुक्ति शर्तों के साथ–साथ अनिवार्य रुप से पढ़ते तथा समझते हुये एवं तदनुसार सहमति के साथ अपने आवेदन प्रस्तुत करने होंगे।

मार्गदर्षिका के तीन भाग निम्नानुसार है–

1. प्रषासी निकाय, जेएसएलपीएस के द्वारा स्वीकृत चयन प्रक्रिया
2. अनुसूचित एवं गैर–अनुसूचित जिलों की सूची एवं नियुक्ति हेतु दिषा–निर्देष
3. विज्ञापित पदों हेतु निर्धारित आयुसीमा, अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता अनिवार्य तकनीकी अर्हता, अनिवार्य कार्यानुभव तथा निर्धारित मानदेय विवरण ।

1. प्रषासी निकाय, जेएसएलपीएस के द्वारा स्वीकृत चयन प्रक्रिया

1. JSLPS will give preference to select suitable candidates who are able work with rural poor, especially the women and their institutions. For the purpose, local candidates having knowledge of local language and local culture will be preferred with all other requirements.
2. Reservation Roster will be followed for hiring services of full time Consultants too.
3. For following positions, district reservation roster system as circulated by the Personnel Department, GoJ will be applicable.

    a. District Accounts Officer (DAY-NRLM)-DMMU
    b. District Accountant (DAY NRLM),(JOHAR) & (JHIMDI)-DMMU
    c. Block Accounts Officer (NRETP)-BMMU

4. For all other positions, existing state reservation roster will continue as it is applicable. JSLPS will ensure this to be followed completely.
5. Cut off for unreserved and reserved category will be applicable as similar to other selection process, conducted by the State Government. This will be applicable in each stage/level of selection process. The cut off is defined as follows.
    a. For Unreserved – 40%
    b. For BC II – 36.5%
    c. For BC I – 34 %
    d. For SC,ST/PH and Women – 32%
    e. Primitive Tribe – 30%

6. The selection process and weightage of different stage/level of selection will be as follows.

For all positions for which district reservation roster is applicable
• Stage/Level 1 – Written Test with 60% weightage • Stage/Level 2 – Interview/Technical Test with 40% weightage

    Based on written examination, initial shortlisting will be done after applying respective cut off as mentioned in point 5.
7. For selection of ST/SC candidates, eligibility will be made simple as it is applied in other related selection process. Special efforts will be made to recruit ST/SC candidates.
8. All transparency and fairness will be maintained in selection process and all relevant information regarding selection process will be provided to candidates.

2. अनुसूचित एवं गैर–अनुसूचित जिलों की सूची एवं नियुक्ति हेतु दिषा–निर्देष

विज्ञापित संबंधित पदों हेतु झारखण्ड राज्य के कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी संकल्प के अंतर्गत अनुसूचित और गैर–अनुसूचित जिलों के निवासी ही पात्र माने जायेंगे। अनुसूचित और गैर–अनुसूचित जिला निम्नांकित हैः–

अनुसूचित जिला का नाम (कुल जिलों की संख्या–13):–साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, लातेहार, राँची, खूँटी, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला–खरसाँवा।

गैर–अनुसूचित जिला का नाम (कुल जिलों की संख्या–11):–पलामू, गढ़वा, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, चतरा, धनबाद, बोकारो, गिरीडीह, देवघर और गोड्डा।

1. **अनुसचित जिले हेतु मार्गदर्शनः–**
   - स्थानीय नीति के तहत इन जिलों हेतु विज्ञापित पदों पर इन्ही जिलों के स्थायी निवासियों से भरा जाना है। अर्थात् संबंधित अनुसूचित जिले के अभ्यर्थी केवल अपने जिलें में ही आवेदन करेंगे, अन्यथा आवेदन रद्द कर दिया जायेगा।

2. **गैर–अनुसचित जिले हेतु मार्गदर्शनः–**
   - 11 विभिन्न गैर–अनुसूचित जिला हेतु आबंटित पदों के लिए अभ्यर्थी किसी भी एक जिला के लिए ही पात्र माने जायेंगे। अर्थात् गैर–अनुसूचित जिले के रिक्त पदों की नियुक्ति के लिए किसी भी अभ्यर्थी विशेष का एक जिला से किया गया आवेदन ही स्वीकार किया जायेगा। उनके द्वारा दिया गया शपथपत्र/कोई सूचना यदि कभी भी असत्य पाया जाता है तो उस अभ्यर्थी विशेष की नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जायेगा। साथ ही इसके लिए उसके विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
   - अभ्यर्थियों को संस्था में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक मांगे गये सभी योग्यता उतीर्ण होना अनिवार्य होगा।
   - उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक/10वीं कक्षा एवं इंटरमिडिएट/10+2 कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उतीर्ण होना अनिवार्य होगा। परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा एवं इंटरमिडिएट/10+2 कक्षा उतीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा।

3. **अन्य महत्वपूर्ण मार्गदर्षनः–**
   - आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 4650 दिनांक 02.06.2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से दिनांक 02.06. 2016 तथा इसके पश्चात् निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा। अथवा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 5752 दिनांक 19.07.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र मे दिनांक 19.07.2019 को अथवा उसके पश्चात् अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा।
   - सभी वैसे अभ्यर्थी जो गैर–अनुसूचित जिले हेतु आवेदन समर्पित कर रहे हों, उन्हे ऑनलाइन आवेदन के समय निर्धारित ''शपथपत्र'' सेक्शन हेतु अपनी सहमति देना आवश्यक होगा। नियुक्ति प्रक्रिया के अगले चरण में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के समय निर्धारित शपथपत्र लिखित रुप से समर्पित करना अनिवार्य होगा।

स्थानीयता की पहचान और जातिप्रमाण–पत्रः–झारखण्ड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग में वर्णित प्रावधान के तहत किया जायेगा। झारखण्ड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग द्वारा जारी किया गया संकल्प के अंतर्गत अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) के नन–क्रीमीलेयर मे आरक्षण का लाभ मानदंड लागू होगा। झारखण्ड राज्य के जिलों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न जिलों के लिए आरक्षित पदों का प्रतिशत अलग–अलग नियत है। अर्थात् सभी जिलों में आरक्षण का अनुपात कोटिवार अलग–अलग है जिसका अनुपालन जिला आरक्षित पदों पर लागू होगा।

3. विज्ञापित पदों हेतु निर्धारित आयुसीमा, अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता अनिवार्य तकनीकी अर्हता, अनिवार्य कार्यानुभव तथा निर्धारित मानदेय विवरण

*विज्ञापित संबंधित पदों हेतु आयु सीमा आवेदन की अंतिम तिथि तक न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए एवं अधिकतम निम्नानुसार है

क्र.सं.	श्रेणी	अधिकतम आयु सीमा	संबंधित श्रेणी के दिव्यांगजनों के लिए
1.	अनारक्षित	35	45
2.	पिछड़ा / अत्यंतपिछड़ा वर्ग	37	47
3.	महिला (अनारक्षित / पिछड़ा एवं अत्यंतपिछड़ा वर्ग)	38	48
4.	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (महिला एवं पुरुष)	40	50

विज्ञापित संबंधित पदों हेतु अनिवार्य अर्हताएँ एवं पारिश्रमिक विवरण निम्नानुसार होना आवष्यक होगा।

क्र.सं	**स्तर**	**पदनाम**	**न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (अनिवार्य शर्तें एवं आवेदन स्वीकृति / अस्वीकृति का प्रमुख आधार)**	**निर्धारित पारिश्रमिक / मानदेय राशि**	**कार्यानुभव (अनिवार्य शर्तें एवं आवेदन स्वीकृति / अस्वीकृति का प्रमुख आधार)**
1	L6	जिला लेखा अधिकारी (DAY-NRLM)-DMMU)	**सरकारी** मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से कॉमर्स विषय में दो **वर्षीय** स्नातकोतर डिग्री या उससे अधिक डिग्री (पूर्णकालिक या पत्राचार)।	कार्यानुभव तथा योग्यतानुसार मानदेय रुपये 20,000 / – से अधिकतम 30,000 / – (सभी व्यय के साथ) प्रतिमाह देय होगा। मानदेय राशि JSLPS के मानदेय निर्धारण नियमानुसार मान्य कार्यानुभव एवं अन्य आवश्यक मापदंडों के आधार पर किया जाएगा। तथा अन्य भत्ते जेएसएलपीएस की मानव संसाधन नियमावली के अनुरुप लागू होंगे।	संबंधित शैक्षणिक योग्यता के उपरांत संबंधित कार्यक्षेत्र का 2 वर्ष का कार्यानुभव।
2	L6	प्रखंड लेखा अधिकारी (NRETP)-BMMU)	**सरकारी** मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से कॉमर्स विषय में दो **वर्षीय** स्नातकोतर डिग्री या उससे अधिक डिग्री (पूर्णकालिक या पत्राचार)।	कार्यानुभव तथा योग्यतानुसार मानदेय रुपये 20,000 / – से अधिकतम 30,000 / – (सभी व्यय के साथ) प्रतिमाह देय होगा। मानदेय राशि JSLPS के मानदेय निर्धारण नियमानुसार मान्य कार्यानुभव एवं अन्य आवश्यक मापदंडों के आधार पर किया जाएगा। तथा अन्य भत्ते जेएसएलपीएस की मानव संसाधन नियमावली के अनुरुप लागू होंगे।	संबंधित शैक्षणिक योग्यता के उपरांत संबंधित कार्यक्षेत्र का दो वर्ष का कार्यानुभव।
3	L7	जिला अकाउंटेंट (DAY-NRLM, JOHAR & JHIMDI)-DMMU)	**सरकारी** मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से कॉमर्स विषय में स्नातक या उससे अधिक डिग्री (पूर्णकालिक या पत्राचार)।	प्रारम्भिक 6 माह की प्रशिक्षण अवधि के दौरान एकमुस्त मानदेय रुपये 15,000 / –प्रतिमाह देय होगा। 6 माह की प्रशिक्षण अवधि के उपरांत कार्यमूल्यांकन में सफल पाए जाने के उपरांत मासिक वेतन तथा अन्य भत्ते जेएसएलपीएस की मानव संसाधन नियमावली के अनुरुप लागू होंगे।	संबंधित शैक्षणिक योग्यता के उपरांत संबंधित कार्यक्षेत्र का 2 वर्ष का कार्यानुभव।

(मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी)